

कार्यालय जिला चिकित्सालय रोगी कल्याण समिति, शाजापुर (म.प्र.)

क्रमांक / रो.क.स. / 2019 / 6397

शाजापुर, दिनांक 14.11.2019

निविदा फार्म

निविदादाता का
नवीनतम कलर
फोटोग्राफ्स

निविदा फार्म नं.

दिनांक

1. निविदा कार्य :
2. निविदादाता का नाम :
3. पता :
4. दूरभाष नम्बर :
5. प्रतिभूति राशि : रुपये बैंक का नाम.....
बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. क्रमांक दिनांक

1. वस्त्र धुलाई :
 - (1) चादर / परदे रुपये प्रति नग
 - (2) कम्बल रुपये प्रति नग
 - (3) अन्य वस्त्र (एप्रेन, हॉलशीट आदि) रुपये प्रति नग
 - (4) मास्क टोपी रुपये प्रति नग

नोट :-

- 1/ निविदाओं के संबंध में नियम एवं शर्तें कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।
- 2/ निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
- 3/ निविदा की शर्तें इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

संलग्न : बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. क्रमांक राशि रुपये दिनांक
निविदादाता के हस्ताक्षर
पूरा नाम :
पता :
दूरभाष / मोबाईल नम्बर

कार्यालय जिला चिकित्सालय रोगी कल्याण समिति, शाजापुर (म.प्र.)

लाण्डी ठेका, निविदा की मुख्य शर्तें

- 1/ लाण्डी ठेका अवधि ठेका स्वीकृत होने के दिनांक से 1 वर्ष तक के लिये रहेगी तथा कार्य संतोषजनक रहने पर 10 प्रतिशत बढ़ौत्तरी प्रतिवर्षानुसार अधिकतम 3 (तीन) वर्ष तक की अवधि तक बढ़ायी जा सकती हैं।
- 2/ लाण्डी ठेका निविदा फार्म के साथ अर्नेस्ट मनी की राशि रूपये 10000/- (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जो सचिव रोगी कल्याण समिति, शाजापुर के नाम देय हो, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। उक्त राशि ठेका समाप्त होने तक समिति के पास सिक्यूरिटी के रूप में जमा रहेगी, इसपर किसी प्रकार का ब्याज आदि देय नहीं होगा।
- 3/ जिला चिकित्सालय शाजापुर के समस्त कपड़ों की धुलाई समय पर ही करनी होगी। साथ ही सभी कपड़ो पर अनिवार्य रूप से प्रेस भी करना होगी।
- 4/ अस्पताल में उपयोगी छोटी एवं बड़े कपड़ों की धुलाई हेतु अलग-अलग दर स्वीकृत की जावेगी।
- 5/ धुलाई में लगने वाले समस्त मसाले (साबुन, सोडा, कास्टिक, ब्लिचिंग, नील, कलप आदि) समस्त सामग्री ठेकेदार स्वयं को ही अपने व्यय पर क्रय कर उपयोग करना होगी। सामग्री उच्च क्वालिटी की होना अनिवार्य है। ऐसी सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा जो कपड़ा धुलाई में कपड़ों को नुकसान करती हो।
- 6/ समस्त प्रकार की मशीनें भट्टी, पानी की मोटरें, पंखे आदि समस्त सामान की जवाबदारी ठेकेदार स्वयं की रहेगी।
- 7/ जिला चिकित्सालय में कपड़ों की धुलाई की जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कपड़े बाहर ले जाकर धोकर लाना है।
- 8/ धुलाई हेतु कपड़े ठेकेदार स्वयं को जिला चिकित्सालय से प्रभारी सिस्टर एवं जवाबदार अन्य कर्मचारी से गिनवाकर लाना एवं देना होगा।
- 9/ कपड़े स्वच्छ एवं साफ धुलना अनिवार्य है। कपड़े में किसी प्रकार का दाग या धब्बा नहीं रहना चाहिए इसका विशेष ध्यान ठेकेदार को रखना होगा, शिकायत प्राप्त होने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा या समय पर वस्त्र न देने या गंदे होने पर देय राशि का 10 प्रतिशत दण्ड/क्षतिपूर्ति काटी जावेगी।

अविरत...2.....

(2)

- 10/ धुलाई में कपड़ा फटने, जलने आदि की स्थिति में ठेकेदार को कपड़े की नई कीमत समिति में जमा करानी होगी।
- 11/ जिला चिकित्सालय के धुलाई हेतु दिए गए कपड़ों की सुरक्षा की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
- 12/ निविदा में कांट-छांट, ओव्हर राईटिंग होने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेका स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार रोगी कल्याण समिति को होगा।
- 13/ ठेकेदार को निविदा स्वीकृत होने पर 100/- रुपये के रेवेन्यू स्टाम्प पर अनुबंध दोनों पक्षों के बीच स्वयं के व्यय से सम्पादित कराना होगा।
- 14/ शासन के नियमानुसार ठेकेदार अपना पेन कार्ड (PAN No.) की छायाप्रति आवश्यक रूप से एवं नियमानुसार टी.डी.एस. भी काटा जावेगा।
- 15/ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं।
- 16/ चरित्र प्रमाण टेण्डर के साथ प्रस्तुत करें।
- 17/ विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र शाजापुर ही रहेगा।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल
अधीक्षक, जिला-शाजापुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पता :

दूरभाष/मोबाईल नम्बर